



मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
ब्लॉक नं. 09, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर - 482008



क्रमांक - का.नि. (मा.सं. एवं प्र.)/मप्रपीजकलि/भर्ती/2025-26/3233 जबलपुर, दिनांक 17/07/2025

**मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में विभिन्न संघों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विस्तृत
विज्ञापन/ नियम पुस्तिका - 2025-26**

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पी.ज.क.लि.), पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनी है एवं मध्यप्रदेश शासन के पूर्ण स्वामित्व का उपक्रम है तथा प्रदेश में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कार्यरत है। म.प्र.पी.ज.क.लि. अपने ताप एवं जल विद्युत संयंत्रों के संचालन-संभारण, नवीन संयंत्रों के निर्माण एवं अन्य आवश्यकताओं हेतु विभिन्न संघों के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन एवं नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करती है।

इस नियम पुस्तिका में जब तक अन्यथा उल्लेखित ना किया गया हो, कंपनी अथवा संगठन शब्द का अर्थ मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पी.ज.क.लि.) है।

1. विज्ञापित पद, पदों की संख्या, पद कोड, श्रेणीवार पदों की जानकारी एवं अन्य (वैकल्पिक सहित)

संघ	पद नाम	पद कोड	पद का प्रकार	श्रेणीवार पदों की संख्या					योग
				UR	SC	ST	OBC	EWS	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
द्वितीय श्रेणी के पद									
सहायक अभियंता (उत्पादन)	सहायक अभियंता (उत्पा.) - मैकेनिकल	P01	नियमित	6	2	3	4	2	17
	सहायक अभियंता (उत्पा.) - इलेक्ट्रिकल	P02	नियमित	5	3	3	4	1	16
	सहायक अभियंता (उत्पा.) - इलेक्ट्रोनियम्स	P03	नियमित	6	2	3	5	1	17

(Signature)

संकेत	पद नाम	पद कोड	पद का प्रकार	श्रेणीवार पदों की संख्या					योग
				UR	SC	ST	OBC	EWS	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
सहायक अभियंता (सिविल)	सहायक अभियंता (सिविल)	P04	नियमित	7	3	5	6	2	23
पाली रसायनज्ञ	पाली रसायनज्ञ	P05	नियमित	3	4	1	4	1	13
चिकित्सा अधिकारी	चिकित्सा अधिकारी	P06	नियमित	0	1	0	1	0	2
सुरक्षा अधिकारी	सुरक्षा अधिकारी	P07	नियमित	1	0	0	1	0	2
कार्मिक अधिकारी	कार्मिक अधिकारी	P08	नियमित	1	0	0	1	0	2
तृतीय श्रेणी के पद									
कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र)	कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) - मैकेनिकल	P09	नियमित	5	3	4	6	2	20
	कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) - इलेक्ट्रिकल	P10	नियमित	6	3	4	6	2	21
	कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) - इलेक्ट्रोनियक्स	P11	नियमित	7	3	4	5	2	21
कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	P12	नियमित	8	5	5	7	3	28
संयंत्र सहायक	संयंत्र सहायक - मैकेनिकल	P13	नियमित	15	8	11	14	5	53
	संयंत्र सहायक - इलेक्ट्रिकल	P14	नियमित	10	6	7	10	4	37

संवर्ग	पद नाम	पद कोड	पद का प्रकार	श्रेणीवार पदों की संख्या					योग
				UR	SC	ST	OBC	EWS	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
कामचालक सहायक श्रेणी-तीन	कामचालक सहायक	P15	निम्नमित	5	3	3	4	2	17
भण्डार सहायक	भण्डार सहायक	P16	निम्नमित	0	0	1	0	1	2
कनिष्ठ शोधलेखक	कनिष्ठ शोधलेखक	P17	निम्नमित	2	1	2	2	1	8
अग्निशालक	अग्निशालक	P18	निम्नमित	2	1	2	1	0	6
पुरुष श्रेणी के पद									
सुरक्षा सैनिक	सुरक्षा सैनिक	P19	निम्नमित	10	6	8	10	4	38
बड़े भाया	बड़े भाया	P20	निम्नमित	1	0	0	0	0	1
बड़े बोंय	बड़े बोंय	P21	निम्नमित	0	0	1	0	1	2
कुल				100	54	67	91	34	346

नोट :-

- संवर्ग सहायक संवर्ग, अग्निशालक एवं बड़े बोंय (पद कोड - P13, P14, P18 एवं P21) हेतु केवल पुरुष उम्मीदवार आवेदन करें।
- मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, किसी भी समय किसी भी संवर्ग/पद के विज्ञापित पदों की संख्या अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ाने एवं घटाने या पूर्ण पदों को भरने या आंशिक रूप से पदों को भरने या न भरने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है।
- मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, किसी भी समय आंशिक अथवा पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को रद्द अथवा स्थगित करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। इस हेतु कंपनी कोई भी कारण दिये जाने हेतु बाध्यकारी नहीं होगी।
- विज्ञापित पदों के संबंध में विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आरक्षित पदों की जानकारी इस नियम पुस्तिका के "परिशिष्ट - दो" में प्रदान की गई है।

QW

5. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, न.प्र. शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29/09/2022, क्रमांक एफ 3/1/2/0014/2023-जीएडी-आर सी-01(जीएडी) दिनांक 26/06/2023, क्रमांक एफ-07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 09/05/2023 एवं ऊर्जा विभाग, न.प्र. शासन के पत्र क्रमांक एफ 02-05/2015/तेरह दिनांक 23/05/2023, क्रमांक एफ 02-05/2015/तेरह दिनांक 30/06/2023 के अनुसार विनाशित पदों के 87% पदों (मुख्य भाग) पर जारी किया जाएगा एवं शेष 13% पदों का परिणाम उपरोक्त याचिकाओं के संदर्भ में अंतिम निर्णय के अध्येक्षित होगा। विनाशित पदों के मुख्य भाग (87%) एवं शेष भाग (13%) की जानकारी इस नियम पुस्तिका के "परिशिष्ट-दो" में प्रदान की गई है।

2. सीधी भर्ती हेतु विस्तृत नियम एवं शर्तें:-

विनाशित पदों के संबंध में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण, लागू वेतन, नियम, निर्देश एवं शर्तें तथा अन्य जानकारी इस नियम पुस्तिका के "परिशिष्ट - एक" में प्रदान की गई है।

3. चयन प्रक्रिया :-

1. आवेदकों का संबंधित पद पर चयन, कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (Computer Based Test) (CBT) में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। कम्प्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसमें प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का बहुविकल्पीय होगा।
2. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्तियों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयनित आवेदकों को संबंधित पद के श्रेणीवार एवं वर्गवार विनाशित पदों के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
3. सुरक्षा अधिकारी (पद कोड- P07) एवं सुरक्षा सैनिक (पद कोड- P19) के पद हेतु आवेदकों को कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में प्राथमिक रूप से चयन उपरांत, शारीरिक दक्षता परीक्षण में योग्य पाये जाने पर ही आगामी चयन प्रक्रिया अर्थात् दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। उपरोक्त पद संयम में दिव्यांगजनों हेतु विनाशित आरक्षित पद के विरुद्ध आगामी प्रक्रिया हेतु प्राथमिक रूप से चयनित अभ्यर्थी को ही शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट होगी। अन्य सभी श्रेणी के आवेदकों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होना अनिवार्य है।



4. सामान्य प्रशासन विभाग, न.प्र.शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 299 दिनांक 31/05/2018 के अनुसार यदि आवेदक जिला झाँपुर, मुँना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहरिया/ सहरिया आदिम जनजाति, जिला मण्डला, डिण्डीरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाड़ा तथा सिवनी की आरिया जनजाति का है एवं पद कोड- P09, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20 एवं P21 हेतु आवेदन करता है और विनापित पद के लिए विहित की गई न्यूनतम अर्हता (शैक्षणिक, शारीरिक एवं कार्यानुभव, जैसा भी लागू हो) रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जावेगा। ऐसे ठस्नीदवारी की संबंधित पद पर नियुक्ति, निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में ग्रांताकों के आधार पर, मैरिट अनुसार, अनुसूचित जनजाति के विस्थापित पदों के विरुद्ध हो की जावेगी। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (Computer Based Test) (CBT) में सम्मिलित होकर सामान्य भर्ती प्रक्रिया में भी भाग लें।

4. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा:-

1. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, न.प्र. राज्य के शहरों में आयोजित की जावेगी।
2. आवेदकों की ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण भरते समय दिये गये परीक्षा शहर के विकल्पों में से अपनी इच्छानुसार शहरों की परीयता के आधार पर चयन करना होगा। आवेदन जमा करने के उपरांत आवेदक द्वारा परीक्षा शहरों में कोई भी संशोधन करने संबंधी अनुरोध पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदक द्वारा चुने हुये परीक्षा शहर का आवंटन परीक्षा शहर में परीक्षा केंद्रों, क्षमता एवं उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा। चुने हुये शहरों के अतिरिक्त भी परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है।
3. परीक्षा शहर एवं केंद्र के आवंटन के संबंध में न.प्र.पी.उ.क.लि. का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
4. कंपनी परीक्षा शहरों/ केंद्रों को आवश्यकता अनुसार जोड़ने तथा हटाने हेतु अधिकार सुरक्षित रखती है। न.प्र.पी.उ.क.लि. किसी भी समय बिना कोई कारण बताये परीक्षा शहरों/ परीक्षा केंद्रों को कम अथवा ज्यादा कर सकती है।
5. आवंटित शहर एवं परीक्षा केंद्र की जानकारी आवेदक को कम्प्यूटर आधारित परीक्षा हेतु जारी ई-पब्लिश पत्र के माध्यम से दी जावेगी।

6. परीक्षा केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा मोबाईल फोन, टैबलेट, डिजिटल डायरी, इन्सादि का प्रवेश एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। आवेदक परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के पूर्व इं-प्रवेश पत्र में दिये गये अनुदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।
7. मदिरा एवं नशीले पदार्थों का सेवन पूर्णतः प्रतिबन्धित है, नशे की अवस्था में आवेदक को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

5. आवेदन शुल्क एवं अन्य प्रभार (जी.एस.टी. सहित)

अनारक्षित वर्ग (UR) के आवेदकों हेतु	- रुपये 1200/-
म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति (SC)/ अनुसूचित जनजाति (ST)/ अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमी लेयर) (OBC)/ दिव्यांगजन (PwD)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आवेदकों हेतु	- रुपये 600/-

आवेदन शुल्क नोन रिफंडेबल है तथा किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

1. आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम (नेट बैंकिंग/ डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड/ यू.पी.आई) से ही स्वीकार किया जायेगा। आवेदन शुल्क जमा किये जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन में भुगतान विकल्प प्रदान किये गये हैं।
2. ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा किये जाने हेतु बैंक लेन देन शुल्क, यदि लागू हो, का वहन आवेदकों द्वारा ही किया जायेगा।
3. आवेदन शुल्क एवं अन्य शुल्क, जैसा लागू हो, एक बार भुगतान करने के बाद न तो किसी भी परिस्थिति में वापस किया जाएगा और न ही इन्हें किसी अन्य भर्ती या चयन के लिए सुरक्षित किया जायेगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे आवेदन शुल्क तथा अन्य शुल्कों का भुगतान करने से पहले अपनी पाठ्य नियत पुस्तिका में उल्लेखित शर्तों अनुसार स्वयं सुनिश्चित कर लें।
4. किसी भी आवेदक द्वारा किसी पद हेतु एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाये। किसी भी उम्मीदवार द्वारा एक पद हेतु एक से अधिक आवेदन करने की स्थिति में, उस उम्मीदवार का केवल नवीनतम पूर्ण आवेदन ही योग्य एवं मान्य होगा। अन्य, एक से अधिक आवेदनों के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क एवं अन्य शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

6. आवेदन कैसे करें:-

1. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट (<https://chayan.mponline.gov.in>) पर ही स्वीकार किये जायेंगे। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे।
2. ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश/ जानकारी एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट (<https://chayan.mponline.gov.in>) के पोर्टल में उपलब्ध है।
3. आवेदक ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट (<https://chayan.mponline.gov.in>) के पोर्टल में दिये गये अनुदेशों एवं मह्य प्रदेश पीधर जर्नेटिंग कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट (<https://mppgcl.mp.gov.in>) में दी गई भर्ती नियम-पुस्तिका का सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।
4. आवेदक के पास स्वयं का ई-मेल आई.डी एवं मोबाईल नम्बर होना आवश्यक है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रोजेक्ट ई-मेल आई.डी एवं मोबाईल नम्बर का आगामी एक वर्ष तक क्रियाशील होना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन में प्रोजेक्ट ई-मेल आई.डी एवं मोबाईल नम्बर को परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। कंपनी द्वारा सभी महत्वपूर्ण प्रचार ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा प्रोजेक्ट ई-मेल आई.डी अथवा मोबाईल नम्बर पर ही किये जायेंगे।
5. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किया जाना आवश्यक है:-
 - i. कला दसवीं (10th) की अंकसूची।
 - ii. म.प्र. स्थायी निवास प्रमाण पत्र (म.प्र. के मूल निवासी आवेदकों हेतु)।
 - iii. जाति प्रमाण पत्र (म.प्र. के मूल निवासी आवेदित वर्ग के आवेदकों हेतु)।
 - iv. वैध एवं मान्य आय एवं सम्पत्ति का प्रमाण पत्र (म.प्र. के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों हेतु)।
 - v. वैध एवं मान्य आय प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग (नैर कीमि नेयर) के आवेदकों हेतु)
 - vi. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (म.प्र. के मूल निवासी दिव्यांग आवेदकों हेतु)।
 - vii. परिशिष्ट - एक अनुसार संबंधित पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची/ प्रमाण पत्र।
 - viii. अनुभव प्रमाण पत्र (पद कोड- P01, P02, P03, P07, P09, P10, P11 एवं पद कोड- P19 हेतु)।
 - ix. आवेदक का नवीन छायाचित्र (Recent Photograph)।

x. आवेदक का हस्ताक्षर ।

xi. आयु सौजा में छूट के संबंध में आवश्यक दस्तावेज ।

6. ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु सहायता के लिये आवेदन पोर्टल में दिये गये "हेल्प डेस्क" टैब के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है अथवा हेल्प लाइन नम्बर - +91-755-6720200 पर संपर्क किया जा सकता है ।

7. महत्वपूर्ण तिथियाँ:-

विवरण	दिनांक (सम्भावित)
ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	23/07/2025 (10:30 Hrs)
ऑनलाइन पंजीयन, आवेदन शुल्क भुगतान एवं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	21/08/2025 (23:59 Hrs)

उपरोक्त तिथियाँ आवश्यकता अथवा अन्य कारणों से परिवर्तित की जा सकती हैं ।

ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा एवं तत्पश्चात दस्तावेज सत्यापन की तिथियाँ नोटिस के माध्यम से म.प्र.पी.ज.क.लि. की वेबसाइट में पृथक् से सूचित की जाएंगी । आवेदक परीक्षा हेतु ई-प्रवेश पत्र एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट (<https://chayan.mponline.gov.in>) के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे । आवेदकों को ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कोई कठिनाई अथवा प्रश्नानों उत्पन्न होने पर हेल्प लाइन नम्बर +91-755-6720200 पर संपर्क कर सकते हैं ।

8. महत्वपूर्ण

1. कोई भी अतिरिक्त परिशिष्ट/ शुद्धिपत्र/ जानकारी केवल नट्य प्रदेवा पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट (<https://mpegl.mp.gov.in>) एवं एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट (<https://chayan.mponline.gov.in>) पर प्रकाशित की जाएगी ।
2. यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे म.प्र.पी.ज.क.लि. की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.mpegl.mp.gov.in>) एवं एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट (<https://chayan.mponline.gov.in>) का निगमित रूप से अवलोकन करते रहें और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित परिशिष्ट/ शुद्धिपत्र/ अपडेट/ नोटिस (यदि कोई हो) को नोट कर लें। यदि कोई उम्मीदवार नवीनतम अपडेट नोट करने में विफल रहता है तो इस संबंध में

म.प्र.पा.ज.क.लि. की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र हर दृष्टि से सही भरना चाहिए और कोई भी जानकारी छिपाना नहीं चाहिए। यदि किसी भी उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई भी जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य पाई जाती है, तो उसकी उम्मीदवारी/ नियुक्ति बिना किसी सूचना के रद्द कर दी जाएगी और कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
4. आवेदक को परीक्षा केंद्र पर ई-प्रवेश पत्र के प्रिंट आउट के साथ अपना एक फोटो युक्त मूल परिचय पत्र लाना आवश्यक है। किसी भी उम्मीदवार को ई-प्रवेश पत्र और फोटो युक्त मूल परिचय पत्र, जैसे मतदाता पहचान पत्र/ आधार कार्ड/ डाइविंग लाइसेंस/ पैन कार्ड/ पासपोर्ट के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार की पहचान का मिलान फोटो युक्त परिचय पत्र से किया जाएगा। इसके अलावा उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में अपने नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार के 02 फोटोग्राफ लाना आवश्यक है।
5. आवेदन पत्र भरते समय ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में दिये गये विस्तृत दिशा निर्देशों का अवलोकन करें।
6. उम्मीदवारों को उनके हित में, सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि और समय तक प्रतीक्षा न करें और अंतिम तिथि से पहले ही अपना आवेदन पंजीकृत कर जमा कर देंगे। यदि उम्मीदवार अंतिम तिथि एवं समय पर अपना आवेदन जमा नहीं कर पाते हैं तो म.प्र.पा.ज.क.लि. की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।


मुख्य अभियंता (भा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पा.ज.क.लि., जबलपुर

परिशिष्ट-एक

सीधी भर्ती हेतु विस्तृत नियम एवं शर्तें

1. आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव

पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव
सहायक अभियंता (उत्पा.) - मैकेनिकल	PO1	ए.आई.सी.टी.ई./यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नियमित (Regular) बी.ई./ बी.टेक अथवा ए.एन.आई.ई. किया उत्तीर्ण। उपरोक्त वर्णित शैक्षणिक योग्यता के साथ राज्य/ केंद्र सरकार के पी.एस.यू. अथवा आई.पी.पी. (जिसने वैधित्व प्लॉट शामिल नहीं) में ताप विद्युत उत्पादन इकाईयां (कोयला आधारित) जिनकी उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट या उससे अधिक हो, के संचालन एवं रखरखाव में निम्न अनुभव होना (संस्थान की नियमित स्थापना में कार्यरत) अनिवार्य है :- सहायक अभियंता (उत्पादन) के पद के समतुल्य (प्रबंधक) अथवा उच्च पद का न्यूनतम 3 वर्ष का कार्यानुभव। अथवा कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) के पद के समतुल्य (सहायक प्रबंधक) अथवा उच्च पद का न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव। (उपरोक्त हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र का प्रमाणन/ सत्यापन किया जायेगा)



पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव
सहायक अभियंता (उत्पा.) - इलेक्ट्रिकल	P01	ए.आई.सी.टी.ई./ यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में नियमित (Regular) बी.ई./ बी.टेक अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण। उपरोक्त वर्णित शैक्षणिक योग्यता के साथ राज्य/ केंद्र सरकार के पी.एस.यू. अथवा आई.पी.पी. (जिसने कैपिटल प्लांट शामिल नहीं) में ताप विद्युत उत्पादन इकाई की (योग्यता आधारित) डिजाइन उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट या उससे अधिक हो, के संचालन एवं रखरखाव में निम्न अनुभव होना (संस्थान की नियमित स्थापना में कार्यरत) अनिवार्य है :- सहायक अभियंता (उत्पादन) के पद के समतुल्य (प्रबंधक) अथवा उच्च पद का न्यूनतम 3 वर्ष का कार्यानुभव अथवा कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) के पद के समतुल्य (सहायक प्रबंधक) अथवा उच्च पद का न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव । (उपरोक्त हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र का प्रमाणन/ सत्यापन किया जायेगा)
सहायक अभियंता (उत्पा.) - इलेक्ट्रॉनिक्स	P03	ए.आई.सी.टी.ई./ यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रुमेंटेशन/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलिकम्युनिकेशन/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन/ इंस्ट्रुमेंटेशन/ इंस्ट्रुमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग में नियमित (Regular) बी.ई./ बी.टेक अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण।



पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव
		उपरोक्त वर्णित शैक्षणिक योग्यता के साथ राज्य/ केंद्र सरकार के पी.एस.यू. अथवा आई.पी.पी. (जिसमें कैपिटल प्लॉट शामिल नहीं) में ताप विद्युत उत्पादन इकाईयाँ (क्षमता आधारित) जिनकी उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट या उससे अधिक हो, के संचालन एवं रखरखाव में निम्न अनुभव होना (संस्थान की नियमित स्थापना में कार्यरत) अनिवार्य है :- सहायक अभियंता (उत्पादन) के पद के समतुल्य (प्रबंधक) अथवा उच्च पद का न्यूनतम 3 वर्ष का कार्यानुभव अथवा कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) के पद के समतुल्य (सहायक प्रबंधक) अथवा उच्च पद का न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव । (उपरोक्त हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र का प्रमाणन/ सत्यापन किया जायेगा)
सहायक अभियंता (सिविल)	P04	ए.आई.सी.टी.ई./बी.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में नियमित (Regular) बी.ई./ बी.टेक अथवा ए.एन.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण। अनापेक्षित एवं न.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए) / पूर्ववर्ती न.प्र. राज्य विद्युत नग्डल की उत्तरवर्ती कंपनियाँ में कार्यरत नियमित कर्मियों हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए) / न.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,



पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यभार
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) के साथ सिविल इंजीनियरिंग में नियमित (Regular) बी.ई./ बी.टेक अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
पाली रसायनज्ञ	P03	ए.आई.सी.टी.ई./ यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से केमिकल इंजीनियरिंग में नियमित (Regular) बी.ई./ बी.टेक डिग्री अथवा नियमित (Regular) एम.एस.सी. (रसायन) स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण। अनायोजित एवं न.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / पूर्ववर्ती न.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / न.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) के साथ केमिकल इंजीनियरिंग में नियमित (Regular) बी.ई./ बी.टेक डिग्री अथवा नियमित (Regular) एम.एस.सी. (रसायन) स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
चिकित्सा अधिकारी	P04	मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया से मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. डिग्री उत्तीर्ण। आवेदक के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व न.प्र. मेडिकल काउंसिल में स्थायी पंजीयन होना अनिवार्य है। औल इंडिया पंजीयन प्राप्त आवेदकों को विनापित पद हेतु आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व न.प्र. मेडिकल काउंसिल में स्थायी पंजीयन होना अनिवार्य है।



पद	पद कोड	वैशेषिक योग्यता एवं कार्यभार
		भारत से बाहर अन्य देशों से एन.बी.बी.एस. की द्विगुण प्राप्त आवेदकों को विज्ञापित पद हेतु आवेदन के पूर्व नेशनल बोर्ड आफ एक्जामिनेशन भारत सरकार द्वारा आयोजित "Screening test for Indian nationals with Foreign Medical qualification -(FM/GE)" उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
सुरक्षा अधिकारी	P07	ग्र.आई.सी.टी.ई./ यू.जी. सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण। केन्द्र या राज्य शासन अंतर्गत पुलिस/ इंटेलेजेंस विभाग अथवा सशस्त्र सेनाओं थलसेना/ नौवीं/ आर्म्ड फोर्स/ पैराकिलिटर फोर्स में, पुलिस उप अधीक्षक/ असिस्टेंट कमाण्डेंट/ कमाण्डेंट/ मेजर/ कैप्टन के समतुल्य अथवा उच्च पद पर कार्यरत कार्मिक जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व न्यूनतम 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो या भूतपूर्व सैनिक (Ex-Serviceman) जो उक्त पदों पर कार्यरत रहे हों (आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व न्यूनतम 07 वर्ष की सेवा अनिवार्य) अथवा म.प्र. राज्य विधुत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों के सुरक्षा विभाग में सुरक्षा उपनिरीक्षक/ निरीक्षक के पद पर कार्यरत कार्मिक जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व उक्त पद पर न्यूनतम 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। उपरोक्त विभागों द्वारा अनुभासनहीनता/ विभागीय जांच/ अस्वस्थता इत्यादि के कारण सेवा से पृथक्/ बर्खास्त किये गये कार्मिक आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। टीप- निजी/ प्राइवेट सुरक्षा संस्थाओं में कार्यरत/ अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र नहीं है।



पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यभार
कार्मिक अधिकारी	P08	एआईसीटीई/ यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से मानव संसाधन/ औद्योगिक संबंध/ कार्मिक प्रबंधन में विशेषज्ञता (Specialization) के साथ प्रबंधन में नियमित (Regular) स्नातकोत्तर डिग्री अथवा मानव संसाधन (प्रमुख विषय) में विशेषज्ञता (Specialization) के साथ नियमित (Regular) एमबीए/ पीजीडीएम/ एमएस डब्ल्यू स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण। अनारक्षित एवं न.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.)/ पूर्ववर्ती न.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियाँ में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.)/ न.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) के साथ मानव संसाधन/ औद्योगिक संबंध/ कार्मिक प्रबंधन में विशेषज्ञता (Specialization) के साथ प्रबंधन में नियमित (Regular) स्नातकोत्तर डिग्री अथवा मानव संसाधन में विशेषज्ञता (Specialization) के साथ नियमित (Regular) एमबीए/ पीजीडीएम/ एमएस डब्ल्यू स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
कनिष्ठ अभियंता (संगंत्र) - मैकेनिकल	P09	ए.आई.सी.टी.ई./ यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नियमित (Regular) डिप्लोमा/ बी.ई./ बी.टेक. अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण।



पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव
		उपरोक्त वर्णित शैक्षणिक योग्यता के साथ राज्य/केंद्र सरकार के पी.एस.यू. अथवा आई.पी.पी. (जिसमें कैडेट प्लॉट शामिल नहीं) में ताप विद्युत उत्पादन इकाईयाँ (क्षेत्रीय आधारित) जिनकी उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट या उससे अधिक हो, के संचालन एवं रखरखाव में निम्न अनुभव होना (संस्थान की नियमित स्थापना में कार्यरत) अनिवार्य है - कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) के पद के समतुल्य (सहायक प्रबंधक) अथवा उच्च पद का न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव। अथवा संयंत्र सहायक/ वरिष्ठ संयंत्र सहायक (टेक्नीशियन - आई.टी.आई. समतुल्य या उच्च) अथवा उच्च पद का न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव (उपरोक्त हेतु आयोग द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र का प्रमाणन/ सत्यापन किया जायेगा)
कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) - इलेक्ट्रिकल	P10	ए.आई.सी.टी.ई. / वू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में नियमित (Regular) डिप्लोमा/ बी.ई./ बी.टेक. अथवा ए.एन.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण। उपरोक्त वर्णित शैक्षणिक योग्यता के साथ राज्य/केंद्र सरकार के पी.एस.यू. अथवा आई.पी.पी. (जिसमें कैडेट प्लॉट शामिल नहीं) में ताप विद्युत उत्पादन इकाईयाँ (क्षेत्रीय आधारित) जिनकी उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट या उससे अधिक हो, के संचालन एवं रखरखाव में निम्न अनुभव होना (संस्थान की नियमित स्थापना में कार्यरत) अनिवार्य है -



पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव
		कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) के पद के समतुल्य (सहायक प्रबंधक) अथवा उच्च पद का न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव । अथवा संयंत्र सहायक / वरिष्ठ संयंत्र सहायक (टेक्नीशियन-ई.टी.आई. समतुल्य या उच्च) अथवा उच्च पद का न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव। (ऊपरोक्त हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र का प्रमाणन/ सत्यापन किया जायेगा)
कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) - इलेक्ट्रॉनिक्स	P11	ए.आई.सी.टी.ई. / यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रुमेंटेशन/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्युतिकेशन/ इंस्ट्रुमेंटेशन/ इंस्ट्रुमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग में नियमित (Regular) डिप्लोमा/ बी.ई./ बी.टेक अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण। ऊपरोक्त वर्णित शैक्षणिक योग्यता के साथ राज्य/ केंद्र सरकार के पी.एस.यू. अथवा आई.पी.पी. (जिसमें कौन्सिल प्लॉट शामिल नहीं) में ताप विद्युत उत्पादन इकाईयां (कोयला आधारित) त्रिजघी उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट या उससे अधिक हो के संचालन एवं रखरखाव में निम्न अनुभव होना (संस्थान की नियमित स्थापना में कार्यरत) अनिवार्य है - कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) के पद के समतुल्य (सहायक प्रबंधक) अथवा उच्च पद का न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव । अथवा

पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव
		संयंत्र सहायक / वरिष्ठ संयंत्र सहायक (टेक्नीशियन-ई.टी.आई. समतुल्य या उच्च) अथवा उच्च पद का न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव। (उपरोक्त हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र का प्रमाणन/ सत्यापन किया जायेगा)
कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	P12	ए.आई.सी.टी.ई. / बी.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में नियमित (Regular) डिप्लोमा/ बी.ई./ बी.टेक. अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण। अनारक्षित एवं न.प. के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / पूर्ववर्ती न.प. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कर्मियों हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / न.प. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) के साथ सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/ बी.ई./ बी.टेक. अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
संयंत्र सहायक – मैकेनिकल	P13	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण एवं न.प. शासन/ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से मशीनीस्ट/ फिटर/ वैल्डर/ एच.पी. वैल्डर/ मैकेनिक पम्प/ मैकेनिक वाहन/ मोटर मैकेनिक/ डीजल मैकेनिक ट्रेड में नियमित (Regular) आई.टी.आई. ट्रेड प्रमाण पत्र (SCVT/ NCVT) उत्तीर्ण।



पद	पद कोड	वैयक्तिक योग्यता एवं कार्यभार
		अनारक्षित एवं न.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / पूर्ववर्ती न.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / न.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंकों (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) के साथ उल्लेखित आई.टी.आई. ट्रेड प्रमाण पत्र धरीला उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
सर्वत्र सहायक - इलेक्ट्रिकल	P14	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिला मण्डल से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण एवं न.प्र. शासन/ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिशियन/ वायरमैन/ इलेक्ट्रानिक्स/ इन्स्ट्रुमेंटेशन ट्रेड में नियमित (Regular) आई.टी.आई. ट्रेड प्रमाण पत्र (SCVT/ NCVT) उत्तीर्ण। नर्मदानगर, शहडोल, रतलाम, रामपुरा स्थित सेंटर ऑफ एक्सलेंस के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से इलेक्ट्रिकल ट्रेड में दो वर्षीय राष्ट्रीय ट्रेड सर्टिफिकेट (आई.टी.आई. इलेक्ट्रिकल ट्रेड के समतुल्य) भी मान्य होगा एवं उक्तानुसार अर्हता धारण करने वाले आवेदक भी आवेदन कर सकेंगे। अनारक्षित एवं न.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / पूर्ववर्ती न.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / न.प्र. के मूल



पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यभार
		निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) के साथ उल्लेखित आई.टी.आई. ट्रेड प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
कार्यलय सहायक श्रेणी-तीन	P13	1. राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से होयर सेकेंडरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण। एवं 2. निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थानों में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र अनिवार्य है:- (क) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (ख) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी गुप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (ग) NIELIT (पूर्ववर्ती DOEACC) से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा। (घ) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से वाइने ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स। (ङ) शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एक वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण पत्र। उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कंप्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी:- (क) बी.ई. (सी.एस.ई./ आई.टी.)/ एन.सी.ए./ बी.सी.ए./ एन.एस.सी. (आई.टी./ सी.एस.)/ बी.एस.सी. (आई.टी./ सी.एस.)/ एम.टेक/ एम.ई. (आई.टी./ सी.एस.) उत्तीर्ण। (ख) ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त



पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यभार
		संस्थान से कम्प्यूटर साइंस/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन/ इंफरमेशन टेक्नोलॉजी में पोलिटेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण । एवं 3. MPSEDC (पूर्ववर्ती MAP-IT) द्वारा जारी सी.पी.सी.टी. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आवेदक के पास वेध सीपीसीटी स्कोर काई होना आवश्यक है जिसने दो विषयों (कम्प्यूटर दक्षता एवं हिंदी टाइपिंग) में एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
अपडार सहायक	P16	1. राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से होयर सेकेंडरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण । एवं 2. निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थानों में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र अनिवार्य है:- (क) यू.जी.सी.द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (ख) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी गुल विश्वविद्यालय से डिप्लोमा । (ग) NIELIT (पूर्ववर्ती DOEACC) से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा। (घ) शासकीय पोलिटेक्निक कॉलेज से मोडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स । (ङ) शासकीय आई टी आई द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण पत्र । उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा



पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यभार
		के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी:- (ग) बी.ई. (सी.एस.ई./ आई.टी.)/ एम.सी.ए./ बी.सी.ए./ एम.एस.सी. (आई.टी./ सी.एस.)/ बी.एस.सी. (आई.टी./ सी.एस.)/ एम.टेक/ एम.ई. (आई.टी./ सी.एस.) उत्तीर्ण। (घ) ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस/ कंप्यूटर एप्लीकेशन/ इंफरमेशन टेक्नोलॉजी में पोली-टेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण। एवं 3. MPSEDC (पूर्ववर्ती MAP-IT) द्वारा जारी सी.पी.सी.टी. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आवेदक के पास रैंथ सीपीसीटी स्कोर कार्ड होना आवश्यक है जिसमें दो विषयों (कंप्यूटर दक्षता एवं हिंदी टाइपिंग) में एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
कनिष्ठ शीघ्रलेखक	P17	1. राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से होयर सेकेंडरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण। एवं 2. निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थानों में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र अनिवार्य है:- (क) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (ख) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कुल विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (ग) NIELIT (पूर्ववर्ती DOEACC) से डिप्लोमा



पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यभार
		स्तर की परीक्षा। (घ) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से नॉर्डन ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स। (ङ) शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण पत्र। उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी:- (ग) बी.ई. (सी.एस.ई./आई.टी.)/ एन.सी.ए./ बी.सी.ए./ एम.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.)/ बी.एन.सी. (आई.टी./सी.एस.)/ एन.टेक/ एम.ई. (आई.टी./सी.एस.) उत्तीर्ण। (ख) ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर साइंस / कम्प्यूटर एप्लीकेशन / इंफरमेशन टेक्नोलॉजी में पॉलीटेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण। एवं 3. MPSEDC (पूर्ववर्ती MAP-IT) द्वारा जारी सी.पी.सी.टी. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आवेदक के पास वंश सीपीसीटी स्कोर काई होना आवश्यक है जिसमें दो विषयों (कम्प्यूटर दक्षता एवं हिंदी टाइपिंग) में एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एवं 4. न.प्र. शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से अंग्रेजी अथवा हिंदी शीघ्रलेखन परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण।



पद	पद कोड	वैशेषिक योग्यता एवं कार्यानुभव
अग्निशक्तिक	PI8	- राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा नण्डल से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण। एवं - त.प. शासन/ भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्निशक्तन में मुख्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अग्निशक्तन पाठ्यक्रम की अवधि छ. (6) माह से कम नहीं होनी चाहिये।
सुरक्षा सैनिक	PI9	- राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा नण्डल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण। एवं - पुलिस/ थलसेना/ नौवी/ आर्म्ड फोर्स/ पैरामिलिट्री फोर्स/ केन्द्र या राज्य शासन के इंटेलेजेंस विभाग/ होमगार्ड में सैनिक/ लांस नायक/ नायक हवलदार के रूप में कार्यरत कार्मिक जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व न्यूनतम दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा भूतपूर्व सैनिक (Ex-Serviceman) (न्यूनतम दो वर्ष की सेवा का अनुभव अनिवार्य)। उपरोक्त विभागों द्वारा अनुशासनहीनता/ विभागीय जांच/ अस्वस्थता इत्यादि के कारण सेवा से पृथक/ बर्खास्त किये गये कार्मिक आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। टिप- निजी/ प्राइवेट सुरक्षा संस्थाओं में कार्यरत/ अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र नहीं हैं।



पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यभार
वाई आर	P20	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल/ संस्थान से आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण।
वाई बी	P21	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल/ संस्थान से आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण।

सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के लेनो क्र. सी-3-8/2016/1/3 दिनांक 22/09/2022 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में निर्धारित न्यूनतम अंक अंक में 10% की छूट प्रदान की गई है।

2. आवश्यक शारीरिक मापदण्ड/ अर्हता

सुरक्षा अधिकारी (पद कोड- P07) एवं सुरक्षा सैनिक (पद कोड- P19) के पद हेतु आवश्यक शारीरिक मापदण्ड/ अर्हता निम्नानुसार है:-

- I ऊँचाई - पुरुष - न्यूनतम 167.5 से.मी. या उससे अधिक
नहिला - न्यूनतम 152.4 से.मी. या उससे अधिक
- II सीना - पुरुष - बिना फुलाये न्यूनतम 81 से.मी.
फुलाने पर न्यूनतम 86 से.मी.
(अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 से.मी. का अंतर होना आवश्यक है)

III आवेदक के घुटने नहीं मिलना चाहिए एवं पैर के पंजे सपाट नहीं होना चाहिए

(Neither be bow-legged/ Knock-knee nor flat footed)।

IV आवेदक हकला नहीं होना चाहिए।

V आवेदक की श्रवण शक्ति एवं दृष्टि अच्छी (बिना चश्मे के 6/6 से कम नहीं) होना चाहिए।
आवेदक को रंगों का अंतर करने में सक्षम होना चाहिये।

VI आवेदक का वजन उसकी उम्र/ऊँचाई के अनुपात में होना चाहिए।

VII. शारीरिक दक्षता परीक्षण अंतर्गत आवेदक को 800 मीटर की दौड़ निम्न अवधि में पूर्ण करना होगी-

पुरुष	- 03 मिनट
महिला	- 03 मिनट 30 सेकण्ड
भूतपूर्व सैनिक	- 03 मिनट 30 सेकण्ड

(उपरोक्त 800 मीटर की दौड़ केवल शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिये है, इस हेतु पृथक से कोई अंक देय नहीं है।)

आवेदकों को शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल पाये जाने पर ही आगामी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने की पात्रता होगी।

उपरोक्त पद संवर्गों में दिव्यांगजनों हेतु विनाशित आरक्षित पद के विरुद्ध ही चयनित अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षण से छूट होगी, अन्य सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल होना अनिवार्य है।

3. आयु सीमा

पद कोड	आयु सीमा (दिनांक 01/01/2025 की स्थिति में)	
	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा
P01, P02, P03, P04, P05, P06, एवं P08	21 वर्ष	40 वर्ष
P09, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20 एवं P21	18 वर्ष	40 वर्ष

उपरोक्त आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के परिपत्र क्र. सी 3-8/2016/1/3 भा.पाल दिनांक 04/07/2019 के अनुसार है।

पद कोड	आयु सीमा (दिनांक 01/01/2025 की स्थिति में)	
	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा
P07	21 वर्ष	33 वर्ष
P19	18 वर्ष	33 वर्ष



उपरोक्त आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग, न.प्र. शासन के परिपत्र क्र. सी-3-14/2019/एक/3 भोपाल दिनांक 19/12/2019 के अनुसार है।

4. आयु सीमा में छूट तथा आवश्यक निर्देश

1. अभ्यर्थी की केवल वह जन्मतिथि स्वीकार की जायेगी जो हाई स्कूल/ हायर सेकेंडरी अथवा मेट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/ जन्म प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में लागू आयु सीमा में छूट केवल न.प्र. के मूल निवासी गैर किमी. लेयर उम्मीदवार पर ही लागू होगी। किमी. लेयर के उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग माना जायेगा।
3. पद कोड P01, P02, P03, P09 P10 एवं P11 हेतु कार्यभार के दृष्टिगत समस्त श्रेणी के आवेदकों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष अथवा 05 वर्ष (कार्यभार के दृष्टिगत जैसा लागू हो, अधिकतम 05 वर्ष) तक की छूट देय होगी। तभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी पदों के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
4. विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग, न.प्र. शासन के त्वापन क्र.सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03/09/1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, न.प्र. शासन की अंतर्जातीय पिछड़ा प्रतिपादन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत व्यक्तियों के सर्वे सहागी को सामान्य प्रशासन विभाग, न.प्र. शासन के त्वापन क्र.सी-3/10/85/3/1 दिनांक 29/06/1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।
6. न.प्र. के मूल निवासी ऐसे उम्मीदवार, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु सीमा में से उनके द्वारा पूर्व में की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी यथा कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह संबंधित पद हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा (33 या 40 वर्ष, जैसा लागू हो) से तीन वर्ष से अधिक न हो।
7. न.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांगजन/ महिला (अनारक्षित / आरक्षित) तथा न.प्र. के शासकीय निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्थानों के कर्मचारी/ नगर सैनिक आदि श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच (5) वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

8. यदि कोई आवेदन निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिए एक से अधिक आधार रखता है तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा।
9. पद कोड- P01, P02, P03, P04, P05, P06, P08, P09, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20 एवं P21 हेतु सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए, अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
10. पद कोड- P07 एवं P19 हेतु सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए, अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
11. न.प्र. के शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी/ नगर सैनिकों आदि को प्रत्येक आयु सीमा में छूट केवल ऐसे उम्मीदवारों को देय होगी जो आवेदन पत्र भरने के पूर्व से दस्तावेज सत्यापन के समय न.प्र. के शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था/ नगर सेना आदि में निरंतर सेवारत हों।
12. सभी आयु सीमा में छूट मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार है, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर), दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला अध्येष्टीयों इत्यादि को आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए लागू होगी अर्थात् आयु सीमा में छूट का लाभ लेने हेतु न.प्र. का स्थायी निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है। (सामान्य प्रशासन विभाग, न.प्र. शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/एपी/ए, दिनांक 06/08/2012 के प्रावधानों के अनुसार)।
13. उपरोक्त वर्णित आयु सीमा के संदर्भ में छूट केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी संबंधित प्रमाण पत्र के प्रस्तुत किये जाने पर ही लागू होगी।
14. जिस अपक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं है, उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किंतु आवेदन शुल्क में छूट तथा मात्र भेजे की पात्रता होगी।
15. ऐसे उम्मीदवार जो कि पूर्ववर्ती न.प्र. राज्य विधुत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में नियमित रूप से कार्यरत हैं, जो विभागीय उम्मीदवार के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में पूर्णतः (सेवानिवृत्ति की आयु तक) छूट प्रदान की जाती है।

5. आरक्षण

1. आरक्षण हेतु न.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 में निहित नियमों एवं उक्त नियम में लागू संशोधनों का पालन किया जायेगा। विज्ञापित पदों पर, आरक्षण के प्रावधान, सामान्य प्रशासन विभाग, न.प्र.शासन के पत्र क्रमांक 07-53/2019/आ.प्र./एक भीषाल दिनांक



- 04/01/2020 के साथ संलग्न म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 530 दिनांक 24/12/2019 के द्वारा लागू सीधी भर्ती रॉस्टर अनुसार किये गये हैं।
2. मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग उम्मीदवारों (जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक है) हेतु सशस्त्र आरक्षण का प्रावधान सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, म.प्र. शासन द्वारा जारी असाधारण राजपत्र क्रमांक 288 दिनांक 31/05/2022 के अनुसार लागू होंगे।
 3. मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 454 दिनांक 17/11/2015 के अनुसार म.प्र. सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के अंतर्गत महिलाओं को 33% प्रतिशत आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार (हॉरिजॉन्टल एवं कम्पाटमेंट वाइज) प्रदान किया जायेगा। महिलाओं हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध योग्य महिला उम्मीदवार ना मिलने की स्थिति में इन पदों को वैरी फ़ॉरवर्ड नहीं किया जावेगा अपितु उसी श्रेणी के उपलब्ध योग्य पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भरा जावेगा।
 4. सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक सी 3-8/2015/एक-3 दिनांक 15/06/2017 द्वारा म.प्र.पी.ज.क.लि. में संयंत्र सहायक (पद कोड - P13 एवं P14) एवं अभिनशानक (पद कोड- P18) पद हेतु महिलाओं को देय 33% प्रतिशत आरक्षण से छूट प्रदान की गई है।
 5. सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक एफ 7-47/2016/आ.प्र./एक दिनांक 01/01/2018 के अनुसार धौवर, कहार, भीड़, केवट, मल्लाह, निपाद जाति के जिन व्यक्तियों द्वारा "मांडवी" अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 11/11/2005 के पूर्व शासकीय सेवाओं में नियोजन कर लिया है, उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाएगा, किन्तु उक्त दिनांक के पश्चात उन्हें अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं मानते हुए आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।
 6. मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को मध्य प्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (पद कोड- P09, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20 एवं P21) के पदों हेतु नियमानुसार 10% (दस प्रतिशत)/ 20% (बीस प्रतिशत) (जो भी लागू हो) समस्तर एवं प्रभागवार आरक्षण (हॉरिजॉन्टल एवं कम्पाटमेंट वाइज) प्रदान किया जायेगा।
 7. सभी आरक्षण मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार है, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमी लेयर), आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला अभ्यर्थियों इत्यादि की आरक्षण का लाभ केवल



मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए लागू होगा अर्थात् आरक्षण का लाभ लेने हेतु म.प्र. का स्थायी निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अन्य राज्यों के उपरीक्त श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को अनारक्षित माना जाएगा। (सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/एपी/प्र, दिनांक 06/08/2012 के प्रावधानों के अनुसार)।

7. सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 299 दिनांक 31/05/2018 के अनुसार यदि आवेदक जिला खोपुर, मुर्ना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/ सहारिया आदिम जनजाति, जिला मण्डला, डिण्डीरी, शहडोल, उज्जैन, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाड़ा तथा सिवनी की भारिया जनजाति का है एवं पद कोड- P09, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20 एवं P21 हेतु आवेदन करता है और विनापित पद के लिए विहित की गई न्यूनतम अर्हता (शैक्षणिक, वारिरिक एवं कार्यानुभव, जैसा भी लागू हो) रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया की अपनाये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जावेगा। ऐसे उम्मीदवारों की संबंधित पद पर नियुक्ति, निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में प्राप्ति के आधार पर, सैरिट अनुसार, अनुसूचित जनजाति के विनापित पदों के विरुद्ध हो की जायेगी। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (Computer Based Test) (CBT) में सम्मिलित होकर सामान्य भर्ती प्रक्रिया में भी भाग लें।
8. सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के पत्र/ परिपत्र क्र. एफ-07-11/2019/आ.प्र/एक भोपाल दिनांक 02/07/2019, क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र/एक भोपाल दिनांक 18/07/2019 एवं क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र/एक भोपाल दिनांक 22/11/2019 अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान रहेगा।
9. म.प्र. राज्य के अलावा अन्य राज्य के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ दिव्यांगजन/ महिला/ भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी अंतर्गत ही मान्य किये जायेंगे।
10. विनापित पदों हेतु परीक्षा परिणाम (लिखित परीक्षा) घोषित किये जाने के पूर्व संधी भर्ती के संदर्भ में आरक्षण नियमों में कोई भी संशोधन किये जाने की स्थिति में, संशोधित नियमों का पालन किया जावेगा एवं तदनुसार ही परीक्षा परिणाम की घोषित किया जायेगा।

6. सामान्य शर्तें, निर्देश एवं सूचना

1. उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिये।
2. आवेदक ऑनलाइन आवेदन के पूर्व भर्ती नियम एवं शर्तों का विस्तृत एवं सूक्ष्मता से अध्ययन करना सुनिश्चित कर लेवे।



3. आवेदक, आवेदित किये जाने वाले पद हेतु विज्ञापन/ नियम पुस्तिका में विहित प्रावधानानुसार अपनी अर्हता एवं अन्य नियमों का सूक्ष्मता से अध्ययन करना सुनिश्चित कर लेवे।
4. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पंजीकृत ई-मेल आई.डी एवं मोबाईल नंबर का आगामी एक वर्ष तक क्रियाशील होना आवश्यक है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में ई-मेल आई.डी एवं मोबाईल नंबर का पंजीजन किये जाने के उपरांत परिवर्तन हेतु कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा। कंपनी द्वारा सभी महत्वपूर्ण पत्राचार ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा पंजीकृत ई-मेल आई.डी अथवा मोबाईल नंबर पर ही किये जायेंगे।
5. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26/01/2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26/01/2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरहित नहीं होगा।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रिमी लेयर) श्रेणी के उम्मीदवारों की सक्षम अधिकारी (तहसीलदार से अनिश्चन श्रेणी का) द्वारा जारी वैध एवं मान्य आय प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों को न.प्र. शासन के तहसीलदार से अनिश्चन श्रेणी के अधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति का वैध एवं मान्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. उक्त विज्ञापित पदों हेतु जातिगत आरक्षण का लाभ केवल ऐसे अभ्यर्थियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हो। इस हेतु उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाये जाने पर मध्य प्रदेश राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति, मध्य प्रदेश के मूल/ स्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ स्वप्रमाणित कर जमा करना होगा।
9. दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को जिला मेडिकल बोर्ड/ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
10. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पहले विवाह किया है, वे न.प्र. शासन के असाधारण राजपत्र द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10/03/2000 के अनुसार आवेदन करने हेतु पात्र नहीं हैं।



11. सामान्य प्रशासन विभाग, न.प्र. शासन के आदेश क्रमांक सी 3-17-96-2-1 भौपाल दिनांक 25/10/1996 में निहित प्रावधानानुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें महिलाओं के खिलाफ अपराध हेतु ढोपी ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
12. न.प्र. प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
13. आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ एवं कार्यानुभव, आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व अनिवार्य रूप से पूर्ण होनी चाहिये। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हताएँ अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विनाशित पदों के लिये पात्रता नहीं होगी।
14. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय/ अधशासकीय/ सार्वजनिक उपक्रम/ पूर्ववर्ती न.प्र. राज्य विधुत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत हैं एवं वे विनाशित पदों में से जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पद हेतु विहित की गयी न्यूनतम अर्हता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदण्डों को पूर्ण करते हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान निम्नोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
15. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर कीमीलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगजन, महिला आवेदक, जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें न.प्र. शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रावधानों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/ आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र/ दिव्यांगता प्रमाण पत्र/ न.प्र. का मूल निवासी/ स्थायी निवासी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी या चयन का दावा रद्द हो जाएगा। ऐसे उम्मीदवारी एवं चयन का दावा रद्द होने का दायित्व सिर्फ अभ्यर्थी का होगा।
16. जाति प्रमाण पत्र/ आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र (विनापन चर्च में रूढ़)/ दिव्यांगता प्रमाण पत्र/ न.प्र. का मूल निवासी/ स्थायी निवासी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का जारी किया होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात जारी किये गये प्रमाण पत्र मान्य नहीं किये जायेंगे।
17. उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है एवं न.प्र. राज्य के जिला/ संश्लेषीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
18. दिव्यांगजनों की नियुक्ति हेतु विनापन में वर्णित उनके लिये आरक्षित पदों पर ही विचार किया जायेगा। दिव्यांगजन उम्मीदवारों को देय छुट/ लाभ की पात्रता हेतु दिव्यांगता का माप न्यूनतम 40 प्रतिशत होना अनिवार्य है।



19. सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण संचालनालय, न.प्र. के परिपत्र क्र. दि.सा/302/2021/1098 दिनांक 06/05/2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01/06/2021 तथा उसके पश्चात जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र चूड़ी आई डी. पोर्टल के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद सैनुअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र अमान्य होगा ।
20. सामान्य प्रशासन विभाग, न.प्र. शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 8-3/2013/आ.प्र./एक दिनांक 17/07/2014 के अनुसार दिव्यांग उम्मीदवार की नियुक्ति उनकी दिव्यांगता के सतीषजनक सत्यापन के अधीन होगी ।
21. अभ्यर्थियों को विज्ञापन के अनुसार निर्धारित अहंता के समर्थन में दस्तावेज सत्यापन के दौरान मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। मूल दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में आवेदक की उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।
22. भर्ती प्रक्रिया/ नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय, न.प्र. जबलपुर में ही मान्य होगा । चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में कंपनी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।
23. वित्त विभाग, न.प्र.शासन द्वारा जारी परिपत्र क्र. एफ-4-4/2013/नियम/4 दिनांक 13/09/2013 के अनुसार न.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर कीमी सेक्टर), दिव्यांगजन अभ्यर्थी उम्मीदवारी को लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित किये जाने पर नियमानुसार उनके द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी का एक तरफ का द्वितीय श्रेणी का रेल या वास्तविक बस किया जा, टिकट प्रस्तुत करने पर, प्रतिपूर्ति की जावेगी । वित्त विभाग, न.प्र. शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-2/2013/नियम/चार/भोपाल दिनांक 29 जून 2015 के अनुसार परीक्षा के लिये आने वाले परीक्षार्थियों को यात्रा व्यय का भुगतान केवल ई-भुगतान पद्धति से आवेदक के बैंक खाते में ही किया जाएगा । इस हेतु अभ्यर्थियों को इस नियम पुस्तिका के साथ संलग्न प्रोफार्मा-1 में यात्रा एवं अन्य विवरण भरकर, यात्रा टिकट, जाति/ दिव्यांगता, स्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ परीक्षा केंद्र में ही जमा करना अनिवार्य होगा ।
24. विज्ञापित पद हेतु आवेदन करने के पूर्व उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि वे विज्ञापित पदों में से आवेदन किये जाने वाले पद हेतु समस्त निर्धारित अहंताएं पूर्ण करते हैं । दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किये जाने मात्र के आधार पर उम्मीदवार द्वारा चयन या नियुक्ति के संबंध में किया गया कोई भी दावा मान्य नहीं होगा ।



25. विनाशित पद हेतु विहित न्यूनतम आर्हता के साथ अतिरिक्त/ उच्च आर्हता धारक आवेदक भी आवेदन हेतु पात्र है, किंतु अतिरिक्त/ उच्च आर्हता के आधार पर उच्च पद पर नियुक्ति/ पदोन्नति/ अतिरिक्त वेतन वृद्धि/ उच्चतर वेतनमान की पात्रता नहीं होगी।
26. आवेदक द्वारा जमा/ प्रस्तुत किये गए किसी भी दस्तावेज जैसे अनुभव प्रमाण पत्र, जाति/ दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अंकसूची, डिग्री, डिप्लोमा इत्यादि कोई भी जानकारी/ दस्तावेज गलत पाई जाती है, तो चयन/ नियुक्ति के किसी भी स्तर पर या उसके पश्चात उसकी उम्मीदवारी/ नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी तथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
27. अभ्यर्थियों की नियुक्ति नियमानुसार चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन के संतोषजनक सत्यापन रिपोर्ट के अधीन होगी। प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियुक्ति तत्काल समाप्त की जा सकेगी। संतोषजनक सत्यापन तक नियुक्ति प्रावधिक (Provisional) रहेगी। रिपोर्टिंग के समय अभ्यर्थी को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
28. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमी लेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति, उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के अतिरिक्त, सक्षम अधिकारी द्वारा उनसे संबंधित जाति/ वर्ग का सत्यापन किये जाने के अधीन होगी। यदि यह पाया जाता है कि उनसे संबंधित जाति/ वर्ग नए राज्य की अनुसूची के अंतर्गत निर्दिष्ट नहीं है अथवा उनके द्वारा जमा किया गया जाति/ वर्ग संबंधी प्रमाण पत्र असत्य/ फर्जी है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी, एवं झूठी जानकारी देने हेतु उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।
29. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र जमा करने उपरांत जन्म तिथि एवं जाति/ वर्ग के संबंध में सुधार अथवा परिवर्तन करने हेतु किये गये अनुरोध पर कोई भी विचार नहीं किया जायेगा। आवेदक द्वारा आवेदन भरते समय सही एवं स्पष्ट जानकारी भरने एवं उसकी पुष्टि करने उपरांत ही आवेदन पत्र अंतिम रूप से जमा करना चाहिये।

7. चयन प्रक्रिया :-

कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (Computer Based Test) (CBT)

1. ऑनलाइन आवेदन आकर्षित किये जायेंगे।
2. आवेदकों का संबंधित पद पर चयन, कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (Computer Based Test) (CBT) में प्राप्त अंको के आधार पर किया जायेगा।
3. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा नए राज्य के शहरों में आयोजित की जायेगी जिसकी जानकारी आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन में दी गई है।



4. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा 100 प्रश्नों की होगी जिसमें प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का बहुविकल्पीय होगा। पद कोड- P01, P02, P03, P04, P05, P06, P08, P09, P10, P11, P12, P13, P14 एवं P18 हेतु परीक्षा में 75 प्रश्न संबंधित विषय पर आधारित होंगे एवं शेष 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, तार्किक योग्यता इत्यादि से संबंधित होंगे। पद कोड- P07, P15, P16, P17, P19, P20 एवं P21 हेतु परीक्षा में सभी 100 प्रश्न सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी भाषा, गणित, बेसिक कम्प्यूटर एवं अभिरुचि, तार्किक योग्यता इत्यादि से संबंधित होंगे। परीक्षा की अवधि 02 घंटे होगी। परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तर का नकारात्मक अंकन (Negative Marking) नहीं होगा। कम्प्यूटर आधारित परीक्षा का प्रश्न पत्र हिमाची अर्थात् अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओं में होगा।
5. पद कोड P01, P02, P03, P09, P10 एवं P11 हेतु परीक्षा में संबंधित विषय पर आधारित 75 प्रश्न ताप विद्युत गृह से संबंधित व्यवहारिक कार्य पर आधारित होंगे जैसे बायलर, टर्बोइन, कोल हैंडलिंग एवं हैंडलिंग के संचालन, रखरखाव संबंधी विद्युत, यांत्रिकी, ली एण्ड आइ, आदि पहलुओं को शामिल किया जाएगा।
6. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्तियों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। चयनित आवेदकों को संबंधित पद के श्रेणीवार एवं वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी न.प्र.पौ.ज.क.लि. की वेबसाइट (<https://mppsc.mp.gov.in>) के माध्यम से तत्समय पृथक से सूचित की जावेगी।
7. आवेदक का संबंधित संवर्ग में अंतिम चयन इस बात के अधीन होगा कि आवेदक चयन एवं नियुक्ति हेतु सभी निर्धारित योग्यता एवं मापदण्ड को पूर्ण करता है तथा आवेदक ने सभी आवश्यक प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत एवं जमा कर दिये हैं।
8. यदि किसी/ सभी संवर्ग हेतु अत्यधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, उपलब्धता एवं न.प्र.पौ.ज.क.लि. की आवश्यकता अनुसार एक से अधिक पालिसी एवं तिथियाँ में आयोजित की जावेगी। ऐसी स्थिति में प्राप्तियों का नॉर्मलाइजेशन कर प्रावीण्य/ मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
9. प्रावीण्य/ मेरिट सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उनकी प्रावीण्यता/ मेरिट का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा:-
 1. उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जावेगा अर्थात् अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जावेगा।



- ii. उम्मीदगामी समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी, जिन्होंने उक्त पद हेतु आयोजित कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के संबंधित विषय पर आधारित भाग (75 प्रश्न) में अधिक अंक प्राप्त किये हों (यदि लागू हो)।
 - iii. ऐसी स्थिति में, जब उपरोक्त दोनों स्थितियाँ एक से अधिक आवेदक के लिये समान हो तो संबंधित पद हेतु विहित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।
 - iv. ऐसी स्थिति में, जब उपरोक्त तीनों स्थितियाँ एक से अधिक आवेदक के लिये समान हो तो कक्षा दसवीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।
(बड़े अक्षर पद कोड- P20 एवं छोड़े बॉम, पद कोड- P21 हेतु कक्षा दसवीं के स्थान पर कक्षा आठवीं के अंको के अनुसार वरीयता दी जावेगी।)
10. अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% कट ऑफ अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमती लेबर) तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 30% कट ऑफ अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची उनके द्वारा प्राप्त अंकों अथवा नोमैलाईज्ड अंक (यदि लागू हो) के आधार पर श्रेणीवार तैयार की जावेगी।
 11. मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा चयन हेतु कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंकों तक पैन्ल संचालित किया जायेगा। चयन पैन्ल लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य रहेगा। भर्ती प्रक्रिया को विशिष्ट आदेश जारी कर एक वर्ष के पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने संबंधी विशिष्ट आदेश जारी करने के उपरांत किसी भी उम्मीदवार की दायेदारी पर विचार नहीं किया जायेगा।
 12. प्रावीण्य सूची तैयार करते समय आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी यदि बिना किसी छूट के अनारक्षित अभ्यर्थी के समान अई पाया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी की प्रावीण्य सूची में रखा जावेगा एवं अनारक्षित पदों के विरुद्ध समायोजित किया जावेगा।
 13. विनाशित पदों पर चयन हेतु निर्धारित पात्रता एवं शर्तों के संबंध में न.प.प.ज.क.लि. का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जावेगा।

8. चयन एवं नियुक्ति:-

कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में पासकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। चयनित आवेदकों को संबंधित पद के श्रेणीवार एवं वर्गवार विनाशित पदों के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के उपरांत सफल/ योग्य आवेदकों को संबंधित संगर्ग/ पद पर/ पशिक्षु (यदि लागू हो) के रूप में नियुक्त किया जावेगा।

9. प्रशिक्षण

पदवार प्रशिक्षण की अवधि (प्रशिक्षण की विस्तारित अवधि को छोड़कर, यदि कोई हो) नीचे दी गई तालिका अनुसार होगी। प्रशिक्षण अवधि (प्रशिक्षण की विस्तारित अवधि सहित) को वार्षिक वेतन वृद्धि (Increment) हेतु गणना में जोड़ा नहीं जायेगा।

प्रशिक्षण अवधि के दौरान, द्वितीय श्रेणी के पद (पद कोड P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07 एवं P08) हेतु निर्धारित वेतन पैट्रिक्स के न्यूनतम के बराबर समेकित स्टाइपेंड दिया जाएगा। सफल प्रशिक्षण के उपरांत संबंधित पद पर अस्थायी नियुक्ति होने पर अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग, न.प्र. शासन के परिपत्र क्र. सी 3-13/2019/3/1 दिनांक 12/12/2019 अनुसार प्रशिक्षण एवं परीक्षा अवधि के दौरान तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पदों (पद कोड P09, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20 एवं P21) में संबंधित संगर्ग जिसमें चयन हुआ है, के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष में 90% राशि, स्टाइपेंड के रूप में देय होगा। परीक्षा अवधि समाप्तजनक पूर्ण करने के उपरांत ही स्थायी नियमित नियुक्ति की प्राप्ति होगी। स्थायी नियमित नियुक्ति उपरांत संबंधित वेतनमान में वेतन देय होगा।

न.प्र.पौ.ज.क.लि. के आदेश क्र. का.नि.(मा.सं. एवं प्र.)/नीति/2578 दिनांक 11/07/2023 के अनुसार सफल प्रशिक्षण के उपरांत शेष परीक्षा अवधि/संबंधित पद पर अस्थायी नियुक्ति होने पर स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

पद कोड	पद	प्रशिक्षण अवधि
P01	सहायक अभियंता (उत्पा.) - मैकेनिकल	01 वर्ष
P02	सहायक अभियंता (उत्पा.) - इलेक्ट्रिकल	01 वर्ष
P03	सहायक अभियंता (उत्पा.) - इलेक्ट्रॉनिक्स	01 वर्ष
P04	सहायक अभियंता (सिविल)	01 वर्ष
P05	पाली रसायनज्ञ	01 वर्ष
P06	चिकित्सा अधिकारी	03 माह
P07	सुरक्षा अधिकारी	03 माह
P08	कार्मिक अधिकारी	01 वर्ष
P09	कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) - मैकेनिकल	01 वर्ष
P10	कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) - इलेक्ट्रिकल	01 वर्ष
P11	कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) - इलेक्ट्रॉनिक्स	01 वर्ष
P12	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	01 वर्ष
P13	संयंत्र सहायक - मैकेनिकल	09 माह
P14	संयंत्र सहायक - इलेक्ट्रिकल	09 माह
P15	कार्यालय सहायक श्रेणी-तीन	09 माह
P16	भण्डार सहायक	09 माह
P17	कनिष्ठ शीघ्रलेखक	03 माह
P18	अग्निशक्तीक	03 माह
P19	सुरक्षा सैनिक	03 माह
P20	घाई आया	03 माह
P21	घाई बीय	03 माह

10. पेंशन एवं अन्य भत्ते

पद	पद कोड	पेंशनमान (मान्य पेंशन मैट्रिक्स अनुसार)		
		पेंशनमान	पेंशनमान का न्युनतम	लेवल
सहायक अभियंता (उत्पा.) - मैकेनिकल	P01	56100-177500	56100/-	12
सहायक अभियंता (उत्पा.) - इलेक्ट्रिकल	P02	56100-177500	56100/-	12
सहायक अभियंता (उत्पा.) - इलेक्ट्रॉनिक्स	P03	56100-177500	56100/-	12



पद	पद कोड	वेतनमान (बागू वेतन मैट्रिक्स अनुसार)		
		वेतनमान	वेतनमान का न्युनतम	अवकाश
सहायक अभियंता (सिविल)	P04	56100-177500	56100/-	12
पाली रसायनज्ञ	P05	56100-177500	56100/-	12
चिकित्सा अधिकारी	P06	56100-177500	56100/-	12
सुरक्षा अधिकारी	P07	56100-177500	56100/-	12
कालिक अधिकारी	P08	56100-177500	56100/-	12
कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) - मैकेनिकल	P09	32800-103600	32800/-	08
कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) - इलेक्ट्रिकल	P10	32800-103600	32800/-	08
कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) - इलेक्ट्रॉनिक्स	P11	32800-103600	32800/-	08
कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	P12	32800-103600	32800/-	08
संयंत्र सहायक - मैकेनिकल	P13	25300-80500	25300/-	06
संयंत्र सहायक - इलेक्ट्रिकल	P14	25300-80500	25300/-	06
कार्यालय सहायक श्रेणी-तीन	P15	19500-62000	19500/-	04
भण्डार सहायक	P16	19500-62000	19500/-	04
कनिष्ठ शीघ्रलेखक	P17	25300-80500	25300/-	06
अग्निशामक	P18	19500-62000	19500/-	04
सुरक्षा सैनिक	P19	18000-56300	18000/-	03
वाई आर	P20	15500-49000	15500/-	01
वाई बी	P21	15500-49000	15500/-	01

मूल वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

पद कोड P01, P02, P03, P09, P10 एवं P11 पर सफल प्रशिक्षण उपरांत सेवा में शामिल होने पर घयनित सहायक अभियंताओं एवं कनिष्ठ अभियंताओं को कार्यभार के खर्च में व्यक्तिगत वेतन के रूप में 2 वेतन वृद्धि देय होगी, अन्य सेवा नियम एवं शर्तें यथा उचितता इत्यादि का निर्धारण म.प्र.प.ज.क.लि. में प्रचलित नियमानुसार होगा।

11. अंशदायी पेंशन योजना:-

सफल प्रशिक्षण उपरांत संबंधित पद पर नियुक्ति होने पर अंशदायी पेंशन योजना की लागू होगी।



12. परिवीक्षा अवधि:-

प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त प्रशिक्षुओं को नियमित संवर्ग में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। संबंधित पद हेतु लागू परिवीक्षा अवधि निम्नानुसार है:-

पद कोड	परिवीक्षा अवधि
P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, एवं P08	02 वर्ष
P09, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20 एवं P21	03 वर्ष

पद कोड P09, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20 एवं P21 पर लागू प्रशिक्षण अवधि, परिवीक्षा अवधि का भाग होगी।

परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रशिक्षु/कार्मिक के कार्यक्षमता की समीक्षा की जाएगी एवं यदि प्रशिक्षु/कार्मिक अपेक्षित प्रदर्शन करने में विफल रहता है तो उसकी परिवीक्षा अवधि को एक और वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा। विस्तारित परिवीक्षा अवधि के दौरान, यदि प्रशिक्षु/कार्मिक पुनः अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करता है, तो नियमानुसार उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

13. सेवा अनुबंध सह प्रतिभू बाण्ड:-

चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रशिक्षण अवधि (विस्तारित अवधि सहित) सफलतापूर्वक पूर्ण करने (यदि लागू हो) एवं तत्पश्चात 03 वर्ष की कंपनी में सेवा हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभू बाण्ड निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध अनुसार अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण न करने के एवज में निम्नानुसार बाण्ड राशि ल.प.प.ज.क.लि. को देय होगी:-

सेवा अनुबंध की अवधि - चयनित अभ्यर्थी को रुपये 500/- मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्राकृत्य अनुसार प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं तत्पश्चात तीन (03) वर्ष की सेवा अवधि हेतु वेध बाण्ड जमा करना होगा।

बाण्ड की राशि - सेवा अनुबंध की अवधि पूर्ण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा कंपनी की सेवा से न्यागपत्र देने अथवा पृथक् होने की स्थिति में

अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित राशि रुपये 2,00,000/- (रुपये 02 लाख) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित राशि रुपये 1,00,000/- (रुपये 01 लाख) देय होगी।

घोषण हस्तांतरण -

अभ्यर्थियों के पूर्ववर्ती न.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की अन्य उत्तरवर्ती कंपनियों में समान पद अथवा उच्च पद पर चयन की स्थिति में घोषण अन्य उत्तरवर्ती कंपनी, जिसमें अभ्यर्थी का चयन हुआ है, की सेवा अनुबंध की निर्धारित शेष अवधि हेतु समान बातों पर हस्तांतरित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को लागू नॉटिस अवधि से भी नियमानुसार छुट देय होगी।

14. शीर्षाधिकार

भर्ती प्रक्रिया, नियुक्ति, सेवा आदि संबंधित विवादों हेतु न्यायालयीन क्षेत्र कंपनी मुख्यालय जबलपुर होगा।

15. महत्वपूर्ण

भर्ती संबंधी समस्त आवश्यक निर्देश/ सूचनाएं/ आदेश केवल न.प्र.पी.ज.क.लि. की आधिकारिक वेबसाइट (<https://mppgdcl.mp.gov.in>) अथवा एन.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट (<https://chayan.mponline.gov.in>) पर ही प्रकाशित किये जायेंगे, अतः आवेदक नियमित रूप से न.प्र.पी.ज.क.लि. की आधिकारिक वेबसाइट एवं एन.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट का अवलोकन करें। महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों के अवलोकन न करने की स्थिति में आवेदक द्वारा किये गये किसी भी दावे पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं इस संबंध में न.प्र.पी.ज.क.लि. की कोई जवाबदारी नहीं होगी।


मुख्य अभिलेखी (सा.संसा. एवं प्रशा.)
न.प्र.पी.ज.क.लि., जबलपुर

विनापित पदों हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आरक्षित पदों तथा विनापित पदों के मुख्य भाग (87%) एवं शेष (13%) की जानकारी

क्रमांक	पद नाम	पद कोड	श्रेणीवार पदों की संख्या					योग
			UR	SC	ST	OBC	EWS	
1	सहायक अभियंता (उत्प.) - मैकेनिकल	P01	6	2	3	4	2	17
2	सहायक अभियंता (उत्प.) - इलेक्ट्रिकल	P02	5	3	3	4	1	16
3	सहायक अभियंता (उत्प.) - इलेक्ट्रोलिस	P03	6	2	3	5	1	17
4	सहायक अभियंता (सिविल)	P04	7	3	5	6	2	23
5	पाली रसायनज्ञ	P05	3	4	1	4	1	13
6	चिकित्सा अधिकारी	P06	0	1	0	1	0	2
7	सुरक्षा अधिकारी	P07	1	0	0	1	0	2
8	कार्मिक अधिकारी	P08	1	0	0	1	0	2
9	कनिष्ठ अभियंता (संवर्ग) - मैकेनिकल	P09	5	3	4	6	2	20
10	कनिष्ठ अभियंता (संवर्ग) - इलेक्ट्रिकल	P10	6	3	4	6	2	21
11	कनिष्ठ अभियंता (संवर्ग) - इलेक्ट्रोलिस	P11	7	3	4	5	2	21
12	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	P12	8	5	5	7	3	28
13	संवर्ग सहायक - मैकेनिकल	P13	15	8	11	14	5	53
14	संवर्ग सहायक - इलेक्ट्रिकल	P14	10	6	7	10	4	37
15	कार्यालय सहायक श्रेणी-तीन	P15	5	3	3	4	2	17
16	क्षेत्र सहायक	P16	0	0	1	0	1	2
17	कनिष्ठ शोधलैबल	P17	2	1	2	2	1	8
18	अभिलेखिक	P18	2	1	2	1	0	6
19	सुरक्षा सैनिक	P19	10	6	8	10	4	38
20	वाई आर	P20	1	0	0	0	0	1
21	वाई बी	P21	0	0	1	0	1	2
योग			100	54	67	91	34	346

विनाशित पट्टी हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आरक्षित पट्टी तथा विनाशित पट्टी के मुख्य भाग (87X) एवं शेष (13X) की जानकारी

पट्टी भाग : महामय अतिरिक्त (अहमय) - तैयारी (तैयारी)

पट्टी कोड - 801

कुल विनाशित पट्टी - 17

मुख्य भाग (87X) - 15 शेष भाग (13X) - 02

मुख्य भाग

क्र	श्रेणी	मिल		मुख्य भाग (87X)		शेष भाग (13X)	
		अपव	महिला	अपव	महिला	अपव	महिला
1	अनाशित (NR)	4	2	0	0	4	2
2	अनुसूचित जाति (SC)	1	1	0	0	1	1
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	2	1	0	0	2	1
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	1	1	0	0	1	1
5	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	1	1	0	0	1	1
योग		9	6	0	0	9	6

शेष भाग -

क्र	श्रेणी	मिल		मुख्य भाग (87X)		शेष भाग (13X)	
		अपव	महिला	अपव	महिला	अपव	महिला
1	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	2	0	0	0	2	0
योग		2	0	0	0	2	0

कुल योग	11	6	0	0	11	6
---------	----	---	---	---	----	---

विनाशित पट्टी में दिव्यांगजन हेतु श्रेणीगत आरक्षित पट्टी -

विवरण	इति आरक्षित और कम इति (VI)	अन्य आरक्षित, बड़े और कम सुनने वाले (VII)	महामय अतिरिक्त (अहमय) जिसमें सम्मिलित है, संवेदनशील, बृद्ध वृद्ध, सुन, शोषण, पवित्र और वीर, सम्बन्धित विस्तार (LD)	अतिरिक्त, बृद्ध दिव्यांगजन, स्वेच्छिक अतिरिक्त विस्तारित और आर्थिक शोषण और बृद्धिजन्य (MD)	कुल
आरक्षित पट्टी	1	0	0	2	3

विनायित पर्दा हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आरक्षित पर्दा तथा विनायित पर्दा के मुख्य भाग (87X) एवं शीष (13X) की जानकारी

पद नाम : सहायक अभियंता (उपग्र.) - इलेक्ट्रिशियन (विद्युत)

पद कोड - R03

कुल विनायित पर्दा - 17

मुख्य भाग (87X) - 15 शीष भाग (13X) - 02

मुख्य भाग

क्र	श्रेणी	लिंग		मूलपूर्व शैक्षणिक		कुल	
		ओपन	रजिस्ट्रार	ओपन	रजिस्ट्रार	ओपन	रजिस्ट्रार
1	अनारक्षित (UR)	5	1	0	0	5	1
2	अनुसूचित जाति (SC)	2	0	0	0	2	0
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	2	1	0	0	2	1
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	2	1	0	0	2	1
5	आर्थिक वर्ग से कमजोर (EWS)	0	1	0	0	0	1
योग		11	4	0	0	11	4

शीष भाग -

क्र	श्रेणी	लिंग		मूलपूर्व शैक्षणिक		कुल	
		ओपन	रजिस्ट्रार	ओपन	रजिस्ट्रार	ओपन	रजिस्ट्रार
1	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	1	1	0	0	1	1
योग		1	1	0	0	1	1
सकल योग		12	5	0	0	12	5

विनायित पर्दा से दिव्यांगजन हेतु श्रेणीवार आरक्षित पद -

विवरण	इंटे डिप्लोम और ग्रास डिप्लोमा (VI)	बचन डिप्लोम, एडवें और ग्रास ग्रेजुएट डिप्लोमा (VII)	लोकसंसाधन डिविजिनिटी क्लिनिक्स सम्मिलित है, लैंग्वेज बाध, कुल रोग मूल, शीनामन, एडिड और ग्रेजुएट, मरुपुत्र डिप्लोमा (LD)	अडिजिट, एडिड दिव्यांगता, स्पेसिफिक तर्जि डिविजिनिटी और अडिड शीनामन और मरुपुत्रांगना (MD)	कुल
आरक्षित पद	1	1	1	0	3

विनायित पदों हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आरक्षित पदों तथा विनायित पदों के मुख्य भाग (87%) एवं शेष (13%) की जानकारी

पद नाम : सहायक अभियंता (विभिन्न) (विशेषित)

पद संख्या - 004

कुल विनायित पद - 23

मुख्य भाग (87%) - 20 शेष भाग (13%) - 03

मुख्य भाग

क्र.	श्रेणी	लिंग		भारतीय मूलिक		कुल	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1.	अनारक्षित (UR)	5	2	0	0	5	2
2.	अनुसूचित जाति (SC)	2	1	0	0	2	1
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	4	1	0	0	4	1
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	2	1	0	0	2	1
5.	आरक्षित वर्ग से अन्यजाति (EWS)	1	1	0	0	1	1
योग		14	6	0	0	14	6

शेष भाग -

क्र.	श्रेणी	लिंग		भारतीय मूलिक		कुल	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	2	1	0	0	2	1
योग		2	1	0	0	2	1
सकल योग		16	7	0	0	16	7

विनायित पदों में दिव्यांगजन हेतु बर्तीकरण आरक्षित पद -

विवरण	इलेक्ट्रिकल और गैर इलेक्ट्रिकल (VI)	अन्य श्रेणी, वर्ग और गैर वर्ग वर्ग (VII)	संबंधित डिपेंडेंसी में लगे हुए हैं, संबंधित वर्ग, वर्ग वर्ग वर्ग, संबंधित डिपेंडेंसी (ID)	अन्य श्रेणी, वर्ग और गैर वर्ग वर्ग (MD)	कुल
आरक्षित पद	1	0	1	0	2

विज्ञापित पर्दा हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आवेदन पर्दा तथा विज्ञापित पर्दा के मुख्य भाग (87X) एवं शेष (13X) की जानकारी

पद नाम : विभिन्ना अधिकारी (निमजित)

पद कोड - R06

कुल विज्ञापित पद - 02

मुख्य भाग (87X) - 02 शेष भाग (13X) - 0

मुख्य भाग

क्र	श्रेणी	लिंग		भारतीय नागरिक		कुल	
		अपेक्षित	नरित	अपेक्षित	नरित	अपेक्षित	नरित
1	अनपेक्षित (UR)	0	0	0	0	0	0
2	अनुसूचित जाति (SC)	1	0	0	0	1	0
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	1	0	0	0	1	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	0	0	0	0	0	0
योग		2	0	0	0	2	0

शेष भाग -

क्र	श्रेणी	लिंग		भारतीय नागरिक		कुल	
		अपेक्षित	नरित	अपेक्षित	नरित	अपेक्षित	नरित
1	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	0	0	0	0	0	0
योग		0	0	0	0	0	0
सकल योग		2	0	0	0	2	0

विज्ञापित पर्दा में विधायकता हेतु श्रेणीवार आवेदन पद -

विवरण	दृष्टि अपेक्षित और कम दृष्टि (VI)	बलम अपेक्षित, बलम और कम बलम वाले (HI)	लोकसंस्तर विवेकविधि विवेक संस्तरित है, संस्तरित पाठ्य, दृष्टि रोग, सुल, वीनापन, रक्तिक अरिष रीति, अस्पृश्य, विमृशनी (LD)	अपेक्षित, बलिक विधायकता, रीतिविक संस्तरित विवेकविधि और नरितिक वीनापनी और अस्पृश्यता/मृशनी (MD)	कुल
आवेदन पद	2	0	0	0	0

विनायित पर्दा हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आवकित पर्दा तथा विनायित पर्दा के मुख्य भाग (87X) एवं शेष (13X) की जानकारी

पद नाम : कनिष्ठ अधिकारी (विद्यार्थी)
कुल विनायित पर्दा : 02
मुख्य भाग (87X) : 02 शेष भाग (13X) : 0
मुख्य भाग

पद कोड : 208

क्र	श्रेणी	विना		मुख्य भाग (87X)		शेष (13X)	
		आयु	अनुभव	आयु	अनुभव	आयु	अनुभव
1	अवकाशित (UR)	1	0	0	0	1	0
2	अनुसूचित जाति (SC)	0	0	0	0	0	0
3	अनुसूचित जाति (ST)	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	1	0	0	0	1	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	0	0	0	0	0	0
योग		2	0	0	0	2	0

शेष भाग :

क्र	श्रेणी	विना		मुख्य भाग (87X)		शेष (13X)	
		आयु	अनुभव	आयु	अनुभव	आयु	अनुभव
1	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	0	0	0	0	0	0
योग		0	0	0	0	0	0
कुल योग		2	0	0	0	2	0

विनायित पर्दा में विन्यासक्रम हेतु श्रेणीवार आवकित पर्दा :

विभाग	वर्ग आवकित और कुल वर्ग (VI)	अन्य आवकित, शेष और कुल शेष वर्ग (VII)	संलग्नक विन्यासक्रम हेतु श्रेणीवार आयु, अनुभव, मुख्य भाग (87X), अन्य भाग (13X)	आयु, अनुभव, मुख्य भाग (87X), अन्य भाग (13X)	कुल
आयु	1	1	0	0	0

विनायित पर्दा हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आवृत्त पर्दा तथा विनायित पर्दा के मुख्य भाग (87X) एवं शेष (13X) की जानकारी

पद नाम : एलिब अतिथता (संदर्भ) - नैसर्गिक (विपत्ति)

पद कोड - 2025

कुल विनायित पर्दा - 20

मुख्य भाग (87X) - 17 शेष भाग (13X) - 03

मुख्य भाग

क्र.	श्रेणी	जिन		मुक्तपूर्व श्रेणी		कुल	
		आपने	नदित	आपने	नदित	आपने	नदित
1	अनारक्षित (UR)	3	2	0	0	3	2
2	अनुवृत्तित जति (SC)	2	1	0	0	2	1
3	अनुवृत्तित जति (ST)	2	1	1	2	3	1
4	अन्य विपत्ति वर्ग (OBC)	1	1	1	0	2	1
5	अधिक कृषि से कृषि (EWS)	1	1	0	0	1	1
योग		9	6	2	0	11	6

शेष भाग -

क्र.	श्रेणी	जिन		मुक्तपूर्व श्रेणी		कुल	
		आपने	नदित	आपने	नदित	आपने	नदित
1	अन्य विपत्ति वर्ग (OBC)	2	1	0	0	2	1
योग		2	1	0	0	2	1
सकल योग		11	7	2	0	13	7

विनायित पर्दा में विपत्तिगत आवृत्तित पर्दा -

विपत्ति	वृत्ति आवृत्तित और कृषि रति (VI)	अन्य आवृत्तित, वृत्ति और कृषि कृषि वर्ग (HI)	संलग्नक विपत्तिगति विपत्ति कृषिगत वृत्ति कृषि, वृत्ति कृषि, वृत्ति कृषि, वृत्ति कृषि कृषि, वृत्ति कृषि, वृत्ति कृषि (LD)	अतिवृत्ति, वृत्ति विपत्तिगत, वृत्तिगत कृषि विपत्तिगति और कृषि कृषि और वृत्तिगत कृषि (MD)	कुल
आवृत्तित पर्दा	1	1	0	1	2

विनायित पट्टी हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आवकित पट्टी तथा विनायित पट्टी के मुख्य भाग (87X) एवं शेष (13X) की जानकारी

पद नाम : एग्रेड असिस्टेंट (संयंत्र) - इलेक्ट्रोनिक (विद्युत)

पद कोड - P11

कुल विनायित पद - 21

मुख्य भाग (87X) - 19 शेष भाग (13X) - 02

मुख्य भाग

क्र	श्रेणी	लिंग		कुलपूर्व शैक्षणिक		कुल	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	अभ्यासित (UR)	4	2	1	0	5	2
2	अनुसूचित जाति (SC)	2	1	0	0	2	1
3	अनुसूचित जातजाति (ST)	3	1	0	0	4	1
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	2	1	0	0	2	1
5	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	0	1	1	0	1	1
योग		11	6	2	0	13	6

शेष भाग -

क्र	श्रेणी	लिंग		कुलपूर्व शैक्षणिक		कुल	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	1	1	0	0	1	1
योग		1	1	0	0	1	1
कुल योग		12	7	2	0	14	7

विनायित पट्टी में विधायकता हेतु शैक्षणिक आवकित पद -

विशेषण	इति आवकित और कम रति (VI)	अन्य आवकित, बहुरी और कम कुलसे बहुरी (HI)	संलग्नकार विसेसिलिटी विषयसे सम्मिलित हे. सेसंसन पाठ्यी, कुल योग, मुख्य, शैक्षणिक, एग्रेड अर्थिक परीक्षण, सम्पुल, विमदारी (LD)	ओटिजन, बहुरी विषयगतता, एवेसिलिटी अर्थिक विसेसिलिटी और सार्विक शैक्षणिक और सम्पुलसंगमता (MD)	कुल
आवकित पद	1	1	1	0	2

विनायित पर्दा हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आरक्षित पर्दा तथा विनायित पर्दा के मुख्य भाग (87X) एवं शेष (13X) की जानकारी

पद नाम : संघर उदायन - संकेतिक (विनायित)

पद कोड - P13

कुल विनायित पद - 53

मुख्य भाग (87X) - 46 शेष भाग (13X) - 07

मुख्य भाग

क्र	श्रेणी	लिंग		सुरक्षित श्रेणी		कुल	
		ओपन	रक्षित	ओपन	रक्षित	ओपन	रक्षित
1	अभ्यर्थित (UR)	13	0	2	0	15	0
2	अनुसूचित जाति (SC)	7	0	1	0	8	0
3	अनुसूचित जाति (ST)	10	0	1	0	11	0
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	8	0	1	0	9	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	5	0	0	0	5	0
योग		43	0	5	0	48	0

शेष भाग -

क्र	श्रेणी	लिंग		सुरक्षित श्रेणी		कुल	
		ओपन	रक्षित	ओपन	रक्षित	ओपन	रक्षित
1	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	7	0	0	0	7	0
योग		7	0	0	0	7	0
कुल योग		48	0	5	0	53	0

विनायित पर्दा में दिव्यांगजन हेतु श्रेणीवार आरक्षित पद -

विवरण	वृद्धि आरक्षित और कुल रति (VI)	अंगण आरक्षित, वृद्धि और कुल कुल रति (HI)	संलग्नकटर विवेकितिटी विवेकितिटी सन्मतिर हे. संतंरन पावती, वृद्ध रति, मुक्त, रतिपावन, रतिर अरिष रतिर, सन्मुक्त, विवेकितिटी (LD)	ओरिजन, वृद्धि रतिपावन, रतिर विवेकितिटी और सन्मतिर रतिपावन और सन्मुक्तपावन (MD)	कुल
आरक्षित पद	1	1	0	1	3

विनायित पर्दा हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आवकित पर्दा तथा विनायित पर्दा के मुख्य भाग (87X) एवं शेष (13X) की जानकारी

पद नाम : संवर उदायक - इलेक्ट्रिकल (नियमित)

पद कोड - P14

कुल विनायित पद - 37

मुख्य भाग (87X) - 32 शेष भाग (13X) - 05

मुख्य भाग

क्र	श्रेणी	लिंग		कुलपूर्व संयोज		कुल	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	अवकाशित (UR)	0	0	1	0	10	0
2	अनुसूचित जाति (SC)	0	0	0	0	6	0
3	अनुसूचित जातजाति (ST)	0	0	1	0	7	0
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	4	0	1	0	5	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	0	0	1	0	4	0
योग		28	0	4	0	32	0

शेष भाग -

क्र	श्रेणी	लिंग		कुलपूर्व संयोज		कुल	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	0	0	0	0	0	0
योग		0	0	0	0	0	0
कुल योग		33	0	4	0	37	0

विनायित पर्दा में विधायकता हेतु श्रेणीगत आवकित पद -

विवरण	द्वितीयक और तृतीयक रति (VI)	चतुर्थक और पंचम रति (VII)	लोकसभा विधायकता हेतु श्रेणीगत आवकित पद, संयोजक पद, कुल योग, कुल, श्रेणीगत, रतिगत और पदगत, अनुसूचित, विधायक (LD)	अतिरिक्त द्वितीयक विधायकता, रतिगत और श्रेणीगत आवकित पद (MD)	कुल
आवकित पद	1	1	1	0	1

विनायित पदों हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आरक्षित पदों तथा विनायित पदों के मुख्य भाग (87%) एवं शेष (13%) की जानकारी

पद नाम : कार्यलय सहायक श्रेणी-टीन (नियमित)

पद कोड - P15

कुल विनायित पद - 17

मुख्य भाग (87%) - 15 शेष भाग (13%) - 02

मुख्य भाग

क्र	श्रेणी	लिंग		कुलपूर्व शैक्षणिक		कुल	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	अनारक्षित (UR)	3	1	1	0	4	1
2	अनुसूचित जाति (SC)	2	1	0	0	2	1
3	अनुसूचित जातजाति (ST)	2	1	0	0	2	1
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	1	1	0	0	1	1
5	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	1	1	0	0	1	1
योग		9	5	1	0	10	5

शेष भाग -

क्र	श्रेणी	लिंग		कुलपूर्व शैक्षणिक		कुल	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	2	0	0	0	2	0
योग		2	0	0	0	2	0
कुल योग		11	5	1	0	12	5

विनायित पदों में दिव्यांगजन हेतु बंधीदार आरक्षित पद -

विवरण	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (VI)	श्रवण बाधित, बड़ों और कम सुनने वाले (HI)	लोकालोकर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, संतुलन बाधित, कुच, घुंघु, रीतापन, एलिव अटैक पीडियन, अत्युत्तर दिग्दर्शी (LD)	जेडिजन, बहिरंग दिव्यांगजन, स्वसिंचित शक्ति डिसेबिलिटी और शारीरिक बीमारी और अनुपयोगिता (MD)	कुल
आरक्षित पद	3	3	0	1	1

विनायित पर्दा हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आवकित पर्दा तथा विनायित पर्दा के मुख्य भाग (87X) एवं शेष (13X) की जानकारी

पद नाम : एलिट गीवलेटर (नियमित)

पद कोड - P17

कुल विनायित पद - 08

मुख्य भाग (87X) - 07 शेष भाग (13X) - 01

मुख्य भाग

क्र	श्रेणी	लिंग		भृत्यपूर्व शैलिक		कुल	
		आयत	अदित	आयत	अदित	आयत	अदित
1	अनायित (UR)	2	0	0	0	2	0
2	अनुभूतित अति (SC)	1	0	0	0	1	0
3	अनुभूतित अतकालि (ST)	1	1	0	2	1	1
4	अन्य विषय वर्ग (OBC)	3	1	0	0	0	1
5	अभिक कप के कलकाल (EWS)	1	0	0	0	1	0
योग		8	2	0	0	3	2

शेष भाग -

क्र	श्रेणी	लिंग		भृत्यपूर्व शैलिक		कुल	
		आयत	अदित	आयत	अदित	आयत	अदित
1	अन्य विषय वर्ग (OBC)	1	0	0	0	1	0
योग		1	0	0	0	1	0
सकल योग		6	2	0	0	6	2

विनायित पर्दा में दिव्यांगजन हेतु शैलीगत आवकित पद -

विषयगत	वृत्ति आवकित और कल रति (VI)	अन्य आवकित, वृद्ध और कल कुल के कल (HI)	संलग्नकटर विसेविलिटी विषयगत कलकालि हे. संलग्नक कलकालि, वृद्ध कल, कुल, शैलीगत, वृद्ध अदिक वृद्धिगत, कलकालि, विषयगत (LD)	ओटिज, वृद्धिगत दिव्यांगता, वृद्धिगत अतिगत विसेविलिटी और कलकालि शैलीगत और वृद्धिगतकलकालि (MD)	कुल
आवकित पद	3	3	0	0	0

विज्ञापित पदों हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आरक्षित पदों तथा विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87%) एवं शेष (13%) की जानकारी

पद नाम : ग्राई सीन (नियमित)
कुल विज्ञापित पद : 02
मुख्य भाग (87%) : 02 शेष भाग (13%) : 0
मुख्य भाग

पद कोड - P21

क्र	श्रेणी	लिंग		मूलपूर्व शैक्षणिक		कुल	
		औपत्य	अद्वितीय	औपत्य	अद्वितीय	औपत्य	अद्वितीय
1	अनारक्षित (UR)	0	0	0	0	0	0
2	अनुसूचित जाति (ST)	0	0	0	0	0	0
3	अनुसूचित जाति (ST)	1	0	0	0	1	0
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक वर्ग से कमजोर (EWS)	1	0	0	0	1	0
योग		2	0	0	0	2	0

शेष भाग :-

क्र	श्रेणी	लिंग		मूलपूर्व शैक्षणिक		कुल	
		औपत्य	अद्वितीय	औपत्य	अद्वितीय	औपत्य	अद्वितीय
1	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	0	0	0	0	0	0
योग		0	0	0	0	0	0
सकल योग		2	0	0	0	2	0

विज्ञापित पदों से दिव्यांगजन हेतु श्रेणीवार आरक्षित पद :-

विवरण	इडि क्षापित और कुल इडि (VI)	बला क्षापित, बहो और कुल सुनने बारी (H)	संकांसांवर विमविमिटी विमन ससससित हे संसांवर पानसी, कुट रोग कुल, रीसापन, रतिड अरैक रीडिन, ससुलर विमदांकी (D)	अरिडस, बरिडिड दिव्यांगन, र्वसिडिडिड ससिग डिसेडिडिटी और ससिग रीसावी और ससुलरसंगल (MD)	कुल
आरक्षित पद	0	1	1	0	2

M. P. Power Generating Co. Ltd., Jabalpur
TA Claim/ Reimbursement Form
[For SC/ST/OBC (Non Creamy Layer)/PWD Candidates only]

All SC/ ST/OBC (Non Creamy)/ Specially Aided (PWD) category candidates having MP Domicile shall be reimbursed one side (to or fro) Rail/ Bus fare for appearing in the Online Examination/ Computer Based Test (CBT), up to the extent of I-Class Ordinary Sleeper charges by the shortest route, an actual basis and as per rules, limited to the distance of the test center from the address for communication mentioned in their applications or from where they have actually performed the journey, whichever is minimum, on submission of original ticket & self-attested copy of respective category certificate and MP domicile certificate.

The travel reimbursement amount shall be deposited in the bank account as provided by the candidate in the Online Application form.

Name of the candidate _____

Application Sequence No. _____ Post Code _____

Post Applied- _____ Date of Examination _____

Name of Test Centre and city _____

From Station/ City	To Station/ City	Distance in Km	Claim Amount of II Class Rail/ Bus fare (Rs.)	Remarks

Declaration

I hereby declare that, I belong to SC/ST/OBC (Non Creamy)/ Specially Aided (PWD) category, having MP Domicile. The amount claimed is for the shortest route and as correct as possible to the best of my knowledge. The documents supporting the above claim are enclosed herewith, failing which I authorize the company to reject my claim on reimbursement of Travel fare.

Signature of the candidate : _____

Name of the candidate : _____

Father's / Husband's Name : _____

Address : _____

For Office Use Only

Admitted for payment of Rs. _____ in words Rupees

Authorized Signatory of MPPGCL
